

मूल वाद में डिक्री

(आदेश 20 नियम 6-7, जाब्ता दीवानी)

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी एवम् पदेन सहायक कलक्टर पीलीबंगा
पीठासीन अधिकारी :- अमिता बिश्नोई आर.ए.एस.

प्रार्थना पत्र संख्या :- 020/2024

हनुमान पुत्र रामचन्द्र जाति जाट साकिन जाखड़ावाली तहसील पीलीबंगा जिला हनुमानगढ़ राजस्थान ।

—वादी

—बनाम:—

राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार राजस्व पीलीबंगा तहसील पीलीबंगा जिला हनुमानगढ़ राजस्थान ।

—प्रतिवादी

दावा अन्तर्गत धारा 88 आर.टी.ए. बाबत घोषणा

दिनांक :- 16/08/2024

वादी की ओर से श्री शैलेन्द्र बिश्नोई, प्रतिवादी आज दिनांक को अमिता बिश्नोई आर.ए.एस. उपखण्ड अधिकारी एवम् पदेन सहायक कलक्टर पीलीबंगा के समक्ष अन्तिम निपटारे के लिये पेश होने पर आदेश किया जाकर डिक्री की जाती है कि तहसीलदार पीलीबंगा रिपोर्ट के आधार पर वादी का वाद पत्र साबित होने पर स्वीकार किया जाकर राजस्थान काश्तकारी अधिनियम की धारा 88 के अन्तर्गत वाद में वर्णित कृषि भूमि चक 11 जेडडब्ल्यूडी के खाला सं. 54/48 के प.नं. 90/368 (19) किला नं. 1/1, 1/2, 2/1, 2/2 की कुल 0.506 है.क. अनकमांड मय खाला के राजस्व रिकार्ड में मनीराम पुत्र बीझा के स्थान पर रामचन्द्र पुत्र मनीराम दर्ज करने के आदेश फरमाये जाते हैं।

तहसीलदार राजस्व पीलीबंगा को आदेशित किया जाता है कि उक्त वर्णित भूमि घग्घर, वन विभाग, जोहड़ पायतन, आराजीराज न होने तथा अन्य किसी भी न्यायालय का कोई स्थगन आदि न होने, धारा 16 आर.टी.ए. की अवहेलना नहीं होने की व समस्त प्रकार के भार मुक्त होने तथा किसी प्रकार के राजस्व हानि न होने की दशा में स्थिति में उक्तानुसार राजस्व रिकॉर्ड में अंकन किया जाकर अलग अलग लगान कायम किया जावे तथा भूमि की किस्म यथा नहरी / बारानी / गैरमुमकिन/गैर खातेदार पूर्वानुसार ही रहेगी जिमसे किसी प्रकार का कोई बदलाव नहीं किया जावेगा।

खर्चा फरीकेन अपना-अपना वहन करेंगे। यह डिक्री आज दिनांक 16/08/2024 को मेरे हस्ताक्षर से और न्यायालय की मुद्रा से जारी की गई।

(अमिता बिश्नोई आर.ए.एस.)
उपखण्ड अधिकारी एवम्
पदेन सहायक कलक्टर पीलीबंगा
पीलीबंगा

